मुद्रा का प्रस्ताव / उत्पाद

शुरूआत में, मुद्रा को दो श्रेणी के उत्पादों की आवश्यकता होगी, यानी – ५०,०००/- से १० लाख के बीच की ऋण जरूरत वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए पुनर्वित्त उत्पाद तथा आगे ऋण इत्यादि देने के लिए अल्प वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता। मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नामक योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करेगा। अन्य उत्पाद इस क्षेत्र को विकास सहयोग देने के लिए हैं। मुद्रा के अन्य उत्पादों का गुलदस्ता नीचे दिया गया है। ये सारी पेशकश लाभार्थियों के संपूर्ण वर्गों को लक्षित कर शुरू की गयी है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, मुद्रा ने पहले ही अपने प्रारंभिक उत्पाद/ योजनाओं का निर्धारण कर लिया है। इन योजनाओं को 'शिशु', 'किशोर' तथा 'तरुण' नाम दिया गया है। ये योजनाएं लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/ उद्यमों की वृद्धि/ विकास तथा निधीयन जरूरतों के स्तर को इंगित करती हैं तथा अगले चरण में बढ़ने/ वृद्धि करने के लिए संदर्भ बिन्दु भी प्रदान करती हैं

- **शिशु :** ५०,०००/- तक के ऋणों को कवर करेगी
- **किशोर :** ५०,०००/- से अधिक तथा ५ लाख तक के ऋणों को कवर करेगी
- **तरुण :** ५ लाख से अधिक तथा १० लाख तक के ऋणों को कवर करेगी

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल ऋण का कम से कम ६०% ऋण शिशु श्रेणी इकाइयों को दिया जाए और शेष ऋण राशि किशोर एवं तरुण श्रेणियों में जाए।

शिशु, किशोर तथा तरुण इकाइयों के विकास एवं वृद्धि के ढांचे तथा समग्र उद्देश्य के भीतर, जिन उत्पादों की मुद्रा द्वारा घोषणा के स्तर पर पेशकश की गई है वे विभिन्न क्षेत्रों/ व्यवसाय गतिविधियों तथा व्यवसाय/ उद्यम घटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं –

- क्षेत्र/ गतिविधि विशिष्ट योजनाएं
- अल्प ऋण योजना(एमसीएस)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना
- महिला उद्यमी योजना
- व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण
- मिसिंग मिडिल ऋण योजना
- सूक्ष्म इकाइयों को उपकरण वित्त

मुद्रा द्वारा योजनाएं एवं नवोन्मेषी उत्पाद बनाये जा रहे हैं, जिनकी विशिष्टताएँ नीचे प्रस्तुत की गई हैं

१ क्षेत्र/ गतिविधि केन्द्रित योजनाएं

अधिक से अधिक लाभग्राहियों को समाहित करने तथा विशिष्ट व्यवसाय़ गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र/ गतिविधि केन्द्रित योजनाएं बनाई जाएँगी। शुरूआत में, कतिपय गतिविधियों/ क्षेत्रों के व्यवसायों के उच्चतर संकेन्द्रण पर आधारित योजनाएं निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित की जा रही हैं –

१.१ भूतल परिवहन क्षेत्र/ गतिविधि

इस योजना में अन्य के साथ-साथ उन इकाइयों को सहायता दी जाएगी जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियों, तिपहियों, ई-रिक्शों, सवारी कारों, टैक्सियों आदि जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीद करेगी।

१.२ सामूहिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों

जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेजियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राइ क्लीनिंग, साइकिल एवं मोटर साइकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी एवं फोटोकॉपी सुविधा, दवा दुकान, कूरियर एजेन्ट आदि के लिए ऋण सहायता।

१.३ खाद्य उत्पाद क्षेत्र

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जैसे – पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम/ जेली बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टॉल, एवं दिन प्रतिदिन की कैटरिंग/ कैन्टीन सेवाएं, कोल्ड चेन गाड़ियाँ, शीत गृह, बर्फ बनाने वाली इकाइयां, आइसक्रीम बनाने वाली इकाइयां, बिस्कुट, ब्रेड एवं बन बनाने वाली इकाइयां, आदि।

१.४ टेक्टाइल उत्पाद क्षेत्र/ गतिविधि

हथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, खादी गतिविधि, जरी एवं जरदोजी कार्य, परंपरागत इम्ब्रॉयडरी एवं हाथ के काम, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कताई, कम्प्यूटरीकृत इम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एवं नॉन गारमेंट वस्त्र उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एक्सेसरीज, फर्नीशिंग एक्सेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए सहायता।

भविष्य में, अन्य क्षेत्रों/ गतिविधियों के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती रहेंगी।

२ माइक्रो ऋण योजना

अल्प वित्त संस्थाओं व्यक्तियों/ व्यक्तियों के समूहों/ संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी)/ स्व-सहायता समूहों(एसएचजी) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत पात्र आस्तियों के सृजनार्थ, आगे ऋण देने हेतु, समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे कृषि इतर आय-अर्जक गतिविधियां स्थापित/ संचालित कर सकें।

३ मिसिंग मिडल ऋण योजना

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम तथा कृषि इतर आय-अर्जक गतिविधियां स्थापित/ संचालित करने के लिए व्यक्तियों को आगे ऋण प्रदायन के लिए समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जहां प्रति लाभार्थी ऋण की राशि ५०,०००/- से १० लाख तक हो।

४ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना(आरएसबी)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त के माध्यम से उनकी तरलता को बढ़ाना। इन ऋणों का आकार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र उद्यमों के लिए प्रति उद्यम/ उधारकर्ता १० लाख तक रहेगा।

५ महिला उद्यमी योजना

अल्प वित्त संस्थाओं को समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे महिलाओं/ महिलाओं के समूहों/ संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी)/ स्व-सहायता समूहों(एसएचजी) को आगे उधार दे सकें, जिससे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी अर्ह संपत्तियों का सृजन कर सकें, जोकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने/ चलाने हेतु अपेक्षित हैं तथा कृषि- इतर आय-अर्जक गतिविधियां चला सकें।

६ व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण

अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता, ताकि वे व्यक्तियों को उनकी दुकान/ व्यापार व व्यावसायिक गतिविधियों, सेवा उद्यमों को चलाने एवं गैर-कृषि आय-अर्जक गतिविधियों हेतु आगे उधार दे सकें, जिसमें प्रति उद्यम /उधारकर्ता ऋण आकार १० लाख तक रहेगा।

७ सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त

अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता, ताकि वे व्यक्तियों को आवश्यक मशीनरी / उपकरण खरीदते हुए सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु आगे उधार दे सकें, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण आकार १० लाख तक हो।

८ नवोन्मेषी पेशकश

८ (i) मुद्रा कार्ड

आगे बढ़ते हुए, मुद्रा, नवोन्मेषी विचारों के साथ प्रस्तावों में और सुधार करेगा, जैसे एक पूर्व भारित मुद्रा कार्ड, जिसका आकलित मूल्य होगा।

कार्ड की पेशकश से सदस्यों को पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और कार्ड का , उपयोग पंजीकृत उत्पादकों से एक ऑनलाइन मंच पर उपकरण, सहायक उपकरण व कच्चे माल के क्रय हेतु किया जा सकेगा।

कार्ड को उधारकर्ता की प्रधानमंत्री जन धन योजना बचत खाते के साथ जोड़ा जा सकता है तथा सूक्ष्म उद्यम की तात्कालिक चलनिधि समस्याओं से निपटने के लिए आहरण की भी बैंक के एटीएम नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मुद्रा कार्ड की अद्यतन अभिकल्पना आपके तैयार संदर्भ के लिए संलग्न है। बैंकों की सुविधा के लिए, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अद्यतन अभिकल्पना सीडीआर फार्मेट में भी दी जा रही है।

संविभाग क्रेडिट गारंटी

- भारतीय संदर्भ में पारंपरिक वित्तपोषण, संपार्श्विक पर बल देने वाले आस्ति आधारित ऋण दृष्टिकोण को अपनाता है । सूक्ष्म इकाइयां बहुधा संपार्श्विक उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होतीं।

- संपार्श्विक की समस्या को समाप्त करने के लिए मुद्रा एक क्रेडिट गारंटी उत्पाद लाएगा ।

- इसके अलावा, उद्योग / खंड के संदर्भ को देखते हुए, चूंकि व्यक्तिगत ऋणों के आकार छोटे होने और ऋणों की संख्या बड़ी होने की संभावना होगी, इसलिए एक पोर्टफोलियो गारंटी उत्पाद के विकल्प की संभावना पर विचार किया जाएगा। इस विकल्प के तहत, प्रत्येक ऋण के लिए अलग से गारंटी के बजाए, समरूप ऋणों के एक पोर्टफोलियो के लिए ऋण गारंटी या जोखिम साझा करने की व्यवस्था होगी। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता के सृजन और क्रेडिट गारंटी उत्पाद के लिए ग्रहणशीलता में वृद्धि होने की संभावना रहेगी । गारंटी उत्पाद ऐसे प्रमुख प्रस्तावित प्रयासों में से एक होगा जिसका उद्देश्य अंतिम लाभार्थी के लिए निधि की लागत नीचे लाना होगा, ताकि उसकी ऋणपात्रता में सुधार हो सके।

- इसके अतिरिक्त, समय आ गया है कि परिसंपत्ति आधारित उधार दृष्टिकोण को छोड़कर अन्य नवीन दृष्टिकोण अपनाया जाए, जैसे बिजनेस आइडिया वित्त पोषण दृष्टिकोण या नकदी प्रवाह आधारित ऋण योजनाएं जहां संभवत: अंतर्निहित मूर्त प्राथमिक परिसंपत्तियां न हों। यदि क्रेडिट गारंटी साधन उपलब्ध होगा तो इस प्रकार के वर्ग को ऋण देने के लिए प्राथमिक ऋणदाताओं को और भी सुविधा होगी।

८ (iii) क्रेडिट वृद्धि / गारंटी सुविधा के लिए संसाधनों का सृजन

ऋण गारंटी योजना के लिए प्रस्तावित आधारभूत निधि को नियमित रूप से, पुनर्वित्त के अंतर्गत, बकाया ऋणों पर ऋण-भार के साथ संवर्धित किया जाएगा। इसका उपयोग प्रतिभूतीकृत संविभाग ऋणों के लिए प्रथम हानि गारंटी / क्रेडिट वृद्धि प्रदान करने हेतु किया जाएगा । इसका उल्लेख नीचे किया गया है।[७].

[७] क्रेडिट वृद्धि : प्रतिभूतीकृत आस्तियों के पूल से होने वाली संभावित हानियों को कवर करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। ये सुविधाएं किसी भी प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया में प्रवर्तक / सह- प्रवर्तक या किसी तीसरे पक्षकार से प्राप्त साख पत्र, गारंटी अथवा अन्य आश्वासन के माध्यम से दी जाएंगी, ताकि निवेश ग्रेड में बढ़ोत्तरी हो सके। प्रथम हानि सुविधा क्रेडिट बढ़ोत्तरी का पहला स्तर होगा जो कि प्रतिभूतियों को निवेश ग्रेड में लाने के लिए प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर होगा। द्वितीय हानि सुविधा संभावित हानियों से परवर्ती दूसरे स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती है।

८ (iv) मध्यवर्तियों के लिए हामीदारी

जैस-जैसे मुद्रा का विकास होगा, इसे नूतन नवोन्मेषी पेशकशों को तलाशना होगा, जो सौहार्दपूर्ण सिद्धांत 'समस्या का हल' पर आधारित होंगी । यह आवश्यक है कि एनसीएसबीएस संवर्ग को वित्तपोषण करने में वास्तविक विशेषज्ञता रखने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं व अंतिम सिरे के वित्तपोषकों को दीर्घकालिक ऋण पूंजी का स्थिर प्रवाह वाजिब लागत पर मिले, ताकि वे अपने उधार के कार्यकलाप निर्बाध रूप से जारी रख सकें तथा निरंतर विकसित भी होते रहें। वर्तमान में, ये मध्यवर्ती संस्थाएं ऋण जुटाने में भारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। इस प्रकार की मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए निवेशक/ऋणदाता का आधार बड़ा करने की भी जरूरत है।

प्रतिभूतीकरण इस प्रकार की लंबी अवधि के पूंजी प्रवाह के लिए एक उपयोगी उपकरण होगा। तथापि, चूंकि एनसीएसबी की परिसंपत्ति के वर्ग से संबंधित प्रतिभूतीकरण सौदों के लिए बाजार नवजात है, इसलिए इसे पहले पोषित व विकसित करने की आवश्यकता होगी। मुद्रा निम्नलिखित उपायों के जरिए विशेष प्रयास करेगा :

संवर्द्धित क्रेडिट प्रदान करना : एनसीबीएस परिसंपत्ति वर्ग से संबंधित प्रतिभूतीकरण पूल के लिए प्रथम हानि गारंटी/ संपार्श्विक के माध्यम से क्रेडिट संवर्द्धन मुद्रा द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो अल्प वित्त संस्थाओं तथा अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के स्तर से आरंभ होगा। ऐसे लेनदेन को मुद्रा के समर्थन से इस प्रकार की परिसंपत्ति पूल की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा और इस प्रकार क्षेत्र में प्रतिभूतीकरण सौदों का प्रवाह रहेगा।

सह / अनेक व्युत्पत्तिकर्ता मॉडल अपनाना: प्रतिभूतीकरण सौदों में लागत और प्रशासनिक कार्यकुशलताएं लाने की जरूरत होगी। इसके अलावा, चूंकि ऋण आकार छोटे हैं, संभवत: कई छोटे मध्यस्थ अपने बलबूते पर प्रतिभूतीकरण के लिए परिसंपत्तियों की प्रारंभिक सीमा प्रदान न कर सकें। इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए बहु-उत्पन्नकर्ता मॉडल प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके द्वारा प्रतिभूतीकरण के लिए एक से अधिक उत्पन्नकर्ता /मध्यस्थों का परिसंपत्ति पूल मिलाया जा सकता है।

मुद्रा ऐसे कुछ मौजूदा खिलाड़ियों के अनुभवों का लाभ उठाएगा जिन्होंने एनसीएसबी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता दिखाई है। उद्योग में विकसित मॉडलों का अनुकूलन किया जा सकेगा । शीर्ष एजेंसी होने के नाते मुद्रा (जिसके साथ मध्यवर्ती पंजीकृत होंगे/ उससे पुनर्वित्त का लाभ उठा रहे होंगे) इस स्थिति में होगा कि वह इस बहु-उत्पन्नकर्ता मॉडल के तहत इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण सौदों के कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा सके।

बाजार बनाने और उचित वातावरण तंत्र के निर्माण के लिए इसी तरह के अन्य उपाय भी मुद्रा हाथ में लेगा ।

८ (v) व्यवसाय /बैंकिंग प्रतिनिधि माडल

छोटे / अनौपचारिक व्यवसाय क्षेत्र में मध्यवर्तियों / अंतिम सिरे के वित्तपोषकों द्वारा विकसित उधार और वसूली में विशेषज्ञता [जो अक्सर खंड / विशिष्ट होती है] को भुनाने तथा उनकी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय / बैंकिंग प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से ऋण देने के एक उत्पाद की परिकल्पना की गई है ।

मुद्रा पेशकश – ऋण-इतर अंतराल को बाटना :

ऋण की कमी के अलावा, एनसीएसबीएस कई ऋण इतर चुनौतियों का सामना करता है, यथा –

- कौशल विकास अंतराल
- ज्ञान अंतराल
- जानकारी विषमता
- वित्तीय साक्षरता
- संवृद्धि अभिविन्यास का अभाव

इन बाधाओं को दूर करने के लिए, मुद्रा ऋण प्रदायगी से कुछ अधिक(क्रेडिट प्लस) सुविधा प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाएगा और विकासपरक तथा सहायता संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। यह बाजार निर्माता के रूप में काम करेगा तथा एक ऐसे पारितंत्र का निर्माण करेगा जिसमें कुशल और टिकाऊ तरीके से मूल्यवत्ता प्रदान करने की क्षमता होगी।

वित्तीय साक्षरता हेतु सहायता

वित्तीय साक्षरता को मोटे तौर पर इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है - 'वित्तीय क्षेत्र में, जानकारीयुक्त विकल्पों का चयन करने की दिशा में, वित्तीय बाज़ार के उत्पादों, विशेषकर पुरस्कारों व जोखिमों का परिचय कराना तथा उनके प्रति समझ विकसित करना '

वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता जुड़वाँ स्तम्भ हैं। जहाँ एक ओर वित्तीय समावेशन, लोगों द्वारा मांगी जाने वाली वित्तीय बाज़ार/सेवाएँ प्रदान करते हुए आपूर्ति पक्ष के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय साक्षरता, लोगों को इस बारे में जागरूक करती है कि क्या मांगें रखी जा सकती हैं- इस प्रकार वित्तीय

साक्षरता, मांग पक्ष को प्रोत्साहित करती है। वित्तीय साक्षरता अभियान में दी गई सहायता से, वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के मांग पक्ष को मज़बूत बनाने में योगदान मिलेगा।

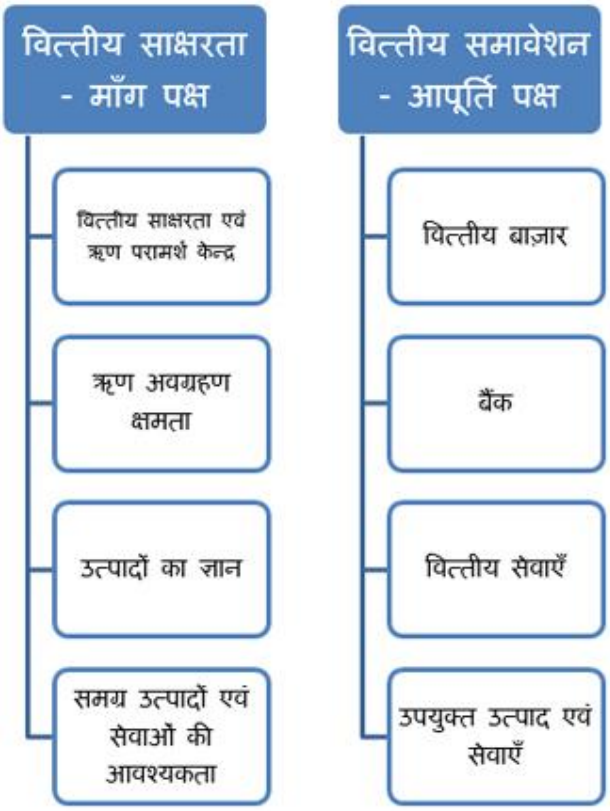

वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन

आधारभूत संस्थाओं का संवर्धन एवं सहायता

ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र यह होगा कि बिल्कुल अंतिम स्तर पर वित्तीय सेवाएँ देने वाली / आधारभूत संस्थाओं को औपचारिक रूप से विकसित किया जाए एवं उनका संस्थानीकरण किया जाए, जिससे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक नए वर्ग, अर्थात् – लघु वित्त कंपनियों की रचना की जा सके तथा उनकी संवृद्धि के लिए आर्थिक पारितंत्र को विकसित किया जा सके।

मध्यस्थता एवं समर्थन के लिए सूक्ष्म उद्यम / इकाई स्तर पर ग्रामीण नवोन्मेष भी महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। संवर्धक की सुविधा के रूप में सूक्ष्म इकाइयों की सहायता को लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश में आधारभूत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवा से नवोन्मेष के संवर्द्धन के साथ-साथ सुझावों की परिपक्वता के लिए वातावरण तैयार हो, जिससे अर्थक्षम सूक्ष्म उद्यमों का जन्म हो।

"लघु व्यवसाय वित्त कंपनियों" के लिए ढाँचे का निर्माण

"लघु व्यवसाय वित्त कंपनियों" को विनियमित करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक अनुकूल ढाँचे का निर्माण करने से इन्हें अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से विकसित किया जा सकेगा, जो कि अभी अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल हैं।.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सहक्रियाएँ

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वयन अभी मिशन के रूप में चल रहा है। इससे यह संभव होता है कि (क) वर्तमान आवंटन-आधारित कार्यनीति से माँग-आधारित कार्यनीति में अंतरित होने में मदद मिलती है, जिससे राज्य आजीविका-आधारित-निर्धनता घटाने संबंधी अपनी स्वयं की कार्य-योजनाओं को बनाने में सक्षम होते हैं, (ख) लक्ष्यों, प्राप्तियों तथा समयबद्ध सुपुर्दगी पर ध्यान-केन्द्रित होता है, (ग) इस संगठित क्षेत्र में हाल ही में उभरने वालों के साथ-साथ, निर्धनों का अनवरत क्षमता-निर्माण, उनमें अपेक्षित कौशलों का विकास करते हुए उन्हें आजीविका के अवसरों के साथ जोड़ा जा सकता है, तथा (घ) निर्धनता-कार्यक्रमों के परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी की जा सकती है। चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा माँग-चालित कार्यनीति का पालन किया जाता है, अत: राज्यों को अपनी आजीविका-आधारित परिप्रेक्ष्य योजनाओं को विकसित करने तथा निर्धनता घटाने के लिए वार्षिक कार्य-योजना बनाने की छूट मिलती है। समग्र योजनाएँ, पारस्परिक निर्धनता अनुपात के आधार पर राज्य को किए गए आवंटन के अंतर्गत होंगी।

आजीविका मिशन:" निर्धनता घटाने के लिए, मज़बूत आधारभूत संस्थाओं का निर्माण करते हुए, निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्व-रोज़गार तथा कौशलपूर्ण मज़दूरी रोज़गार अवसरों हेतु सक्षम बनाना, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविकाओं में एक स्थाई आधार पर उल्लेखनीय सुधार हो सके।"

अधिकाधिक सार्वजनिक लाभ के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुद्रा के कार्यकलापों के बीच सह-क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जाएँगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सहक्रियाएँ

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राष्ट्रीय स्तर पर कौशल-विकास की प्रक्रिया में पहले से ही कार्यरत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिल कर कार्य करने से मुद्रा को इस क्षेत्र-विशेष में कार्यरत इकाइयों के कौशलों में अभिवृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

ऋण ब्यूरो के साथ कार्य

उत्तरदायी ऋण पद्धतियों के विकसित होने के फलस्वरूप अल्पवित्त क्षेत्र में ऋण-ब्यूरो (क्रेडिट ब्यूरो) की स्वीकार्यता के स्तर में वृद्धि हुई है। ऋण-ब्यूरो संस्कृति से एक निश्चित समयावधि में ऋण-इतिहास की रचना करने में सहायता मिलेगी और इस व्यवस्था के लागू होने पर तीव्र गति से ऋण प्रदान करने में सुविधा होगी।

रेटिंग एजेंसियों के साथ कार्य

अल्प वित्त संस्थाओं का प्रमाणन/रेटिंग, मुद्रा के निश्चित किए गए कार्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के एक भाग को वित्तीय संरचना में उभरने के लिए परिकल्पित कर लिया गया है। मुद्रा रेटिंग एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए कार्य करेगा ताकि विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उचित रेटिंग ढांचा बनाया जाए। कालान्तर में, क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए रेटिंग की उपलब्धता से नियमनिष्ठ और क्षेत्र को पूंजी के अतिरिक्त प्रवाह में सुगमता होगी।

मुद्रा का मूल्यन

वित्त मिल पाना महत्त्वपूर्ण है । किंतु एनसीएसबी / अंतिम लाभार्थी हेतु उतना ही महत्वपूर्ण है वित्त की लागत। सूक्ष्म इकाइयों द्वारा अनौपचारिक स्रोतों से ली गई निधियों की लागत अत्यंत उच्च रहती है । लागत को युक्तिसंगत बनाये जाने की गुंजाइश है । तथापि, यह युक्तिसंगतीकरण, अंतिम स्तर की अल्प वित्त संस्थाओं को मुद्रा की निधियों की लागत से अभिन्न रूप से संबद्ध करती है ।

वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी- अल्प वित्त संस्थाएं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्प वित्त संस्थाओं के लिए मार्जिन की उच्चतम सीमा के सन्दर्भ में पहले से ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मार्जिन की उच्चतम सीमा १०० करोड़ से अधिक के ऋण संविभाग वाली अल्प वित्त संस्थाओं के लिए १०% तथा १०० करोड़ से कम के ऋण संविभाग वाली छोटी अल्प वित्त संस्थाओं के लिए १२% निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों की पृष्ठभूमि में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अल्प वित्त संस्था क्षेत्र निरंतर अपनी लागत कम करने की कोशिश कर रहा है, मुद्रा अल्प वित्त संस्थाओं की लागत कम करने में मदद करेगा, ताकि अंतिम लाभार्थियों की समग्र लागत को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन के समय मुद्रा अलग-अलग अल्प वित्त संस्थाओं का अध्ययन / आकलन इस तथा अन्य संबंधित मानदंडों पर करेगा और ऐसे आकलन के आधार पर अपनी सहायता का उपयुक्त रूप से मूल्यन करेगा।

अंतिम लाभार्थी पर पड़ने वाली लागत तर्कसंगत और वहनीय होनी चाहिए, इस आधार वाक्य पर कार्य करते हुए, मुद्रा की निधियों की लागत रेपो रेट से १५० - २०० आधार बिंदु कम के दायरे में होनी चाहिए। यह काफी व्यवहार्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से कम लागत की निधियाँ जुटाने में मुद्रा की मदद करने की इच्छुक है। मुद्रा को अपने उत्पादों के मूल्यन के लिए लागत प्लस दृष्टिकोण अपनाना होगा।

इस प्रकार मुद्रा एक ऐसी पुनर्वित्त एजेंसी होगी, जिसे सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार दर से कम दर पर निधीयन की आवश्यकता होगी और वह इन निधियों के माध्यम से अंतिम स्तर के वित्तपोषकों तथा अंतिम लाभार्थी सूक्ष्म इकाइयों को उचित दरों पर सहायता प्रदान करेगी। वित्त तक पहुंच और उचित दर का संयोग मुद्रा के ग्राहक के लिए विशिष्ट मूल्यवत्तायुक्त पेशकश होगी।